यूपी की चीनी मिलों को सरकारी नोटिस

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 15 जून

किसानों को 3,000 करोड़ रुपये के भुगतान का मसला

- निजी व सहकारी चीनी मिलों पर क्रमशः 2,520 और 543 करोड़ रु. बकाया
- 2010-11 पेराई सत्र में कुल 13,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया
- सहकारी मिलों को एरियर भुगतान के लिए राज्य सरकार ने बजट में किया है 4,00 करोड़ रुपये का प्रावधान

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की चीनी मिलों को 2011-12 पेराई सत्र के 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा गन्ने के एरियर भुगतान को लेकर नोटिस जारी किया है। इसके पहले गन्ना विभाग ने हाल ही में सभी निजी चीनी मिलों के साथ 19 जून को बैठक की थी, जिसमें उनसे लिखित रूप से भुगतान योजना पेश करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने कहा था कि वे बकाया भुगतान के निपटारे के लिए तिथि स्पष्ट करें।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक इस समय निजी व सहकारी चीनी मिलों पर क्रमशः 2,520 करोड़ व 543 करोड़ रुपये बकाया है। इस तरह से मिलों पर कुल बकाया 3,063 करोड़ रुपये है।

पेराई सत्र 2010-11 में गन्ने के मूल्य के करीब 13,000 करोड़ रुपये भुगतान किए गए हैं। इस साल कुल 18,200 करोड़ रुपये का भुगतान होना है, जिसमें से अभी 3,063 करोड़ रुपये एरियर का भुगतान किया जाना बाकी है।

राज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के बकाये के भुगतान के लिए बजट में 4,00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बहरहाल निजी क्षेत्र की मिलों के पास भुगतान के लिए 7 जुलाई तक का वक्त है। उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को अधिकार दिया है कि अगर चीनी मिलें बकाये का भुगतान करने में विफल रहती हैं तो वह उचित कार्रवाई कर सकती है।

गुरुवार को हुई बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे एरियर का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएं। उन्होंने कहा था कि इसमें किसी तरह की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

चीनी मिलों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से चीनी के निर्यात को मंजूरी दिए जाने से उन्हें बहुत फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें स्थिर हैं। उनका तर्क है कि इस दौरान मिल से बंदरगाह तक माल पहुंचाने की लागत में भी बढ़ोतरी हुई है। उद्योग के एक प्रतिनिधि ने नाम न दिए जाने की शर्त पर कहा कि मिलें बकाया भुगतान की पूरी कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा, 'दक्षिण भारत की मिलें बंदरगाहों से नजदीक हैं, जिससे उन्हें उत्तर प्रदेश की मिलों की तुलना में ज्यादा फायदा हो रहा है।'

इसके पहले राज्य की चीनी मिलों ने सरकार से अनुरोध किया था कि बकाये के भुगतान के लिए सरकार उन्हें सस्ती दर पर कर्ज मुहैया कराए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मिलों ने उप्र बिजली निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) से उनके बिजली के दाम के भुगतान का भी अनुरोध किया, जिससे किसानों का भुगतान किया जा सके। बहरहाल इस समय बिजली कंपनी को मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसके चलते उसने भी भुगतान में असमर्थता जाहिर कर दी हैं।